46

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 720—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—03—07 के द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 425/02—03/अपील

.....

पर्वत पुत्र श्री प्यारेलाल जाति दांगी
निवासी—ग्राम प्यासी तहसील मुंगावली
जिला—अशोक नगर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

फेरन सिह मृत पुत्र श्री भूरे सिंह दांगी
द्वारा विधिक उत्तराधिकारीगणः—
1.हजरत पुत्र स्व फेरन सिह
2.सीताराम पुत्र स्व फेरनसिह
3.रामकलीबाई पुत्री फेरनसिह
4.संतराम पुत्र फेरनसिह
5.प्रीति पुत्र फेरनसिह
6.अरविन्द पुत्र फेरनसिह
7.अरविन्द पुत्र फेरनसिह
समस्त निवासीगण— अतरेजी तहसील मुगांवली जिला अशोक नगर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 720–दो/2007

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 23.3.07 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मुंगावली के द्वारा नामांतरण पंजी कमांक –51 पर दिनांक 12.08.2000 को ग्राम अतरेजी की भूमि सर्वे क 112 मे रकवा 1.045 है पर रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर केता पर्वतसिह के हक के द्वारा अ.वि.अ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अ.वि.अ ने अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायायल का आलोच्य आदेश अपास्त किया जिसके विरुद्व यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.3.07 को अपील अस्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक पक्ष अभिभाषक के तर्क सुने गये। अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि आलोच्य भूमि उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर कय की गयी थी जिसके आधार पर तहसील न्यायालय ने नामांतरण आदेश किया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अनावेदक को विकय पत्र निरस्त कराने हेतु व्यवहार न्यायालय मे जाना चहिये था। उनके द्वारा बताया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश उचित है, जिसे निरस्त करके अपर आयुक्त ग्वालियर ने भूल की है अतएव निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदक अभि0 ने अपने तर्क में बताया कि आलोच्य भूमि विंकय न की जाकर गिरवी रखी गयी थी, इस बावत विधिवत भूमि वापिसी की रसीद भी लिखी गयी है।

यह सभी दस्तावेज अ.वि.अ के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। तहसील न्यायालय ने गोपनीय रुप से विक्रय पत्र के आधार पर नामातरण की कार्यावाही के दौरान न तो उसे व्यक्तिगत रुप से साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, और न ही प्रकरण में इस्तहार जारी किया गया और डोढी पिटवाई जाकर मुनादि करायी गयी है, इसलिये उसे यह दस्तावेज विचारण न्यायालय में सामने प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला है, उन्होने अपने तर्क में यह भी बताया कि यह सही है, कि राजस्व न्यायालय रजिसटर्ड विक्रय पत्र की जांच करने हेतु सक्षम नही है, किन्तु विक्रय पत्र संदिग्ध पर गम्भीरता से विचार करके उचित निर्णय लिया है निगरानी अस्वीकार की जावे।

5–उभय पक्ष अभि0 के तर्को पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया। अभिलेख से यह प्रकट है कि तहसीलदार के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की गयी है। पंजी का अवलोकन से यह तथ्य कतई प्रकट नही है कि नामांतरण के पूर्व भूमिस्वामी को व्यक्तिगत सूचना पत्र सुनवाई हेतु जारी किया गया है, अथवा नही और ग्राम में डोढी पिटवाकर मुनादी कराई गयी है, अथवा नही? इस प्रकार तहसीलदार के द्वारा पारित नामांतरण आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत है। उदघोषणा भी किस दिनांक को जारी की गयी है, कतई स्पष्ट नही है। अ0 वि0 अ0 के न्यायालय मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि 10/– रुपये के स्टाम्प पर भूमि वापिस की रसीद भी लिखी गयी है। एक रसीद दिनांक 30.04.2000 को भी उभय पक्ष के मध्य संम्पादित की गयी है, जिसके 84500/– रुपये मय ब्याज के वापिस प्राप्त करने का उल्लेख करते हुये एक माह में रजिस्ट्री कराने का उल्लेख किया

गया है इन दस्तावेजों के अवलोकन से आलोच्य विक्रय पत्र जिसके आधार पर तहसीलदार ने नामांतरण किया है, संदिग्ध हो जाता है। राजस्व निर्णय 1987 पेज 293 में इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि संव्यवहार विक्रय है, अथवा बंधक यह जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है । इसलिये अ.वि.अ का अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा स्थिर रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 23.03.07 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 425/02–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.3.07 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर